कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com   Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 67 / FP/UK/ROAD/10443/2015 :देहरादून:दिनांक: 07 जुलाई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद—अल्मोड़ा में सबोली बैण्ड से तौलबुघानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.077 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः—आपका पत्र संख्या—5626 / 12—1 (2), दिनांक—18.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा सूचना का अवलोकन किया गया है, जिसमें निम्नानुसार अपूर्णतायें पायी गयी हैः—

1. बिन्दु संख्या 02 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त सूचना का ऑनलाईन पोर्टल पर संशोधन किया जाना अपेक्षित है।
2. बिन्दु संख्या 03 के क्रम में अवगत कराना है कि GPS Map के स्थान पर Googel map प्रेषित किये गये हैं, जबकि GPS Map मूल प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने है।
3. भारत सरकार के पत्र संख्या—5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक—06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरो का पुर्ननिधारण किया गया है एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक—19.01.2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रस्तावों को चिन्हित किया गया है, जिनमें एन0पी0वी की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा करायी जानी है। अपने स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करनें का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044 / 1—42(III) दिनांक 22—02—2022 एवं शासन के पत्रांक 290 / X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
6. भारत सरकार के निर्देशानुसार स्पष्ट मलवा निस्तारण योजना संलग्न की जाय। मलवा निस्तारण हेतु चयनित नाप भूमि के सम्बन्ध में भूमि स्वामि की अनापत्ति संलग्न करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनाये हार्ड प्रति में ऑनलाईन / ऑफलाईन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

अमि०हस्ता०
आवक सं० 608
पत्रावली सं० 12-1(2)
दिनांक 15-7-2022
कार्यवाही हेतु प्राप्त करें।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।

संख्याः— 67 / FP/UK/ROAD/10443/2015 दिनॉकित।

प्रतिलिपि :— प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन वन प्रभाग, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुओं का सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी से भली भांति परीक्षण कराकर तथ्यात्मक आख्या संबधित वन संरक्षक के माध्यम से सुस्पष्ट संस्तुति के सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पत्रांक 2- 608/12-1(2) दि0-15-7-2022

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. रानीखेत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।

Rohit PD Backup

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा